# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/671**

1. बन्नाराम पुत्र रामकुमार,
2. कालूराम पुत्र सुण्डाराम,
3. दुर्गाप्रसाद पुत्र सुण्डाराम,
4. छोटी देवी पत्नी सुण्डाराम,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी छापर तन पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

**– अपीलान्ट्स**

**बनाम**

1. बबलू पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पीथमपुरी तहसील व जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।
2. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना तहसील व जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।
3. तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

**– रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर दिनांक 06.03.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट उनवानी बबलू बनाम भूमिधारी मुकदमा नंबर 681/2023 पर पारित किया गया है।**

उपस्थित :–

1. श्री आलोक जैन, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री विजय सिंह राठौड़, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से।

**निर्णय**

**दिनांक :– 28.11.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 06.03.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.05.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2612 रकबा 5.06 है0 खसरा नम्बर 2612/5271 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.0700 है0 वाके ग्राम पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश से दिनांक 23.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2612 रकबा 5.06 है0 खसरा नम्बर 2612/5271 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.0700 है0 का प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 06.03.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर दिनांक 06.03.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व खिलाफ पत्रावली है। अतः कानूनन निरस्त होने योग्य है। आदेश जैर अपील देने से पूर्व पड़ौसी अपीलान्ट पड़ौसी खातेदारों को कोई नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अतः आदेश जैर अपील कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण कानूनन निरस्त होने योग्य है। निर्णय जैर अपील देने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय किसी भी कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की तथा मनमाने आधार पर अपीलान्ट के हितों को नुकसान पहुंचाने की गरज से गलत निर्णय मनमाने आधार पर पारित किया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में गलत रूप से बिना अपीलान्ट को सूचित किये पत्थर गढ़ी करने का गलत आदेश दिया है जो कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होने के कारण कानूनन निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनमाने आधार पर बिना अपीलान्ट को सूचित कियें अपीलान्ट की भूमि में गलत पत्थरगढ़ी करवाकर अपीलान्ट की भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करना चाहता है जिसका रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को कानूनन अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व पत्थरगढ़ी के लिए निर्धारित कानूनी नियमों की पालना नहीं कर कानूनी गलती की है। अतः आदेश जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जान बुझकर पक्षकार नहीं बनाया है। तथा बाला–बाला आदेश प्राप्त कर अपीलान्ट के अधिकारों को प्रभावित करना चाहता है। इसलिए अपीलान्ट प्रभावी पक्षकार होने के कारण आवेदन पत्र दफा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रहा है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। निर्णय जैर अपील दिनांक 06.03.2024 बिना अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना व सुनवाई का अवसर दिये दिया गया है जिसकी पूर्व में अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी तथा अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी उक्त आदेश की जानकारी तब हुई जब दिनांक 16.05.2024 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को उक्त पत्थरगढ़ी के बारे में बताया उक्त पत्थरगढ़ी के बारे में दिनांक 06.03.2024 को निर्णय होने के बाबत बताया तब अपीलान्ट ने दिनांक 17.05.2024 को उक्त निर्णय की नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.05.2024 को उस निर्णय की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई अतः तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 06.03.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के प्रार्थना पत्र संख्या 681/2023 उनवानी बबलू बनाम भूमिधारी में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 निरस्त किया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2612 रकबा 5.06 है0 खसरा नम्बर 2612/5271 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.0700 है0 वाके ग्राम पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश से दिनांक 23.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार को अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजीयात की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16.05.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित व पीडित पक्षकार है। अपीलान्ट यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किस प्रकार पडौसी खातेदार एवं सह खातेदार है। अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2612 रकबा 5.06 है0 खसरा नम्बर 2612/5271 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.0700 है0 का प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 पत्थरगढी की जाने एवं दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2024 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

**अतः आदेश है** कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर